न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 13/2025

अपीलांट्स –
रमेश पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी काउ का खेड़ा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. गोरधनराम पुत्र अमराराम
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र गोरधनराम
3. प्रकाश पुत्र गोरधनराम
4. भूपेन्द्र कुमार पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी काउ का खेड़ा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 614 दिनांक 15.03.2024 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री देवराज चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1व4 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पो0 सं. 5 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 08.07.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 614 दिनांक 15.03.2024 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा काऊ का खेड़ा में खेत खसरा संख्या 45, 46 रकबा 10.1657 हैक्टैयर भूमि खातेदारान गोरधन पुत्र अमराराम, चन्द्रप्रकाश प्रकाश भूपेन्द्र कुमार रमेश पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन [illegible] 15.03.2024 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हल्का [illegible] की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 614 दिनांक 15.03.2024 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:47:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.02.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 4 की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक मौजा काऊ का खेड़ा में खेत खसरा संख्या 45, 46 रकबा 10.1657 हैक्टैयर भूमि आई हुई है। उतरदाता संख्या 01 से 4 ने अपीलांट को वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व किये गये बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजित व पक्षकारान का पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर पर अपीलांट ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाने की सहमति दी। जिस पर दोनो पक्षो ने पटवारी हलका से मिलकर विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा अनुसार तैयार करने को कहा। जिस पर पटवारी ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया गया। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से माफिक बाहमी तौर से किये गये बंटवाडा माफिक उतरदाता संख्या 5 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात हलका पटवारी ने उतरदाता संख्या 1 से 4 से मिलावट कर नक्शा मे अपनी मनमर्जी से रंग भरवा कर कागजात उतरदाता संख्या 5 के समक्ष पेश किये। पटवारी हल्का व उतरदाता संख्या 1 से 4 पर विश्वास करके अंगुष्ठ निशान एवं हस्ताक्षर कर हल्का पटवारी की उपस्थिति में विभाजन हेतु सौंप दिये जिस पर उतरदाता संख्या 1 द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट्स व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि वर्तमान के अरसा 20–25 दिन पूर्व अपीलांट को मौके पर कब्जा काश्त से बेदंखल करने की धमकियां दी गई जिस पर अपीलांट ने कहा कि हम मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार ही काबिज है। जिस पर उतरदातागण ने कहा कि मौके की स्थिति में एवं तरमीम में भिन्नता है। जिस पर अपीलांट्स को अपने हक ... लगे तब अपीलांट ने उक्त सहमति विभाजन की तह... नकलें मांगी जो नकले अपीलांट को दिनांक 13.02.2025 को प्राप्त हुई ... से जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:47:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक भूमि मौजा काऊ का खेड़ा में खेत खसरा संख्या 45, 46 रकबा 10.1657 हैक्टैयर आई हुई है। पक्षकारान के मध्य विभाजन कब्जे–काश्त अनुसार नहीं होने से अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट्स को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उजर ऐतराज नहीं है।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा काऊ का खेड़ा में खेत खसरा संख्या 45, 46 रकबा 10.1657 हैक्टैयर भूमि खातेदारान गोरधन पुत्र अमराराम, चन्द्रप्रकाश प्रकाश भूपेन्द्र कुमार रमेश पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 15.03.2024 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी कवास की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 614 दिनांक 15.03.2024 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.02.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन विभाजन मौके पर भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास के अनुसार नहीं किया गया। जिससे अपीलांट की ढाणी, बाडे इत्यादि उतरदाता के हिस्से मे चली गई। पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवाडे अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जे काश्त में भारी भिन्नता है। जिस कारण अपीलांट की ढाणी, बाडे इत्यादि उतरदातागण के कब्जे मे चले गये है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट के अधिवक्ता के इस अभिकथन को अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा ताईद करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने बाबत अनापत्ति प्रकट की गई हैं। अपीलांट के मुख्य कथन में प्रकट किया गया हैं कि पक्षकारान की पृथक–पृथक रहवासी ढाणी, बाडे इत्यादि [illegible] है तथा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं [illegible] विवाद उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा प्रकट [illegible] एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:47:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलेक्टर
बाड़मेर

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 614 दिनांक 15.03.2024 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:47:41 IST
Reason: SelfAttested